पटना में दिनांक–03 दिसम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	जल संसाधन विभाग	
1.	सोन नहर प्रणाली अंतर्गत भू–अर्जन के अवशेष कार्य हेतु 2219.90 लाख (बाईस करोड़ उन्नीस लाख नब्बे हजार) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति।	1. स्वीकृत।
	सहकारिता विभाग	
2.	वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लिए गये ऋण के विरूद्ध दिनांक– 05.01.2014 के पूर्व ऋण मद का मूल किश्त में भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 1,23,45,000.00 (एक करोड़ तेईस लाख पैतालिस हजार) अग्रिम की स्वीकृति।	2. स्वीकृत।
	गृह (विशेष) विभाग	
3.	वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण (Surrender)–सह–पुनर्वासन (Rehabilitation) योजना के अन्तर्गत नीति का निर्धारण।	3. स्वीकृत।
	गृह विभाग (आरक्षी)	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना स्थित पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि ₹ 28124.00 लाख (दो सौ इक्कासी करोड़ चौबीस लाख रू०) की नई योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	गृह (आरक्षी) विभाग	
5.	बिहार पुलिस में खिलाड़ियों की नियुक्ति एवं पारी से बाहर प्रोन्नति हेतु बिहार पुलिस खेल–कूद नीति, 2013 के अनुमोदन के संबंध में।	5. स्वीकृत।
	ऊर्जा विभाग	
6.	विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठित नई पाँच कम्पनियों के निदेशक मंडल की संरचना, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या–06 दिनांक–22.03.2013 (ज्ञापांक 1741 दिनांक–22.03.2013 द्वारा निर्गत) द्वारा अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	6. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

7.	बिहार राज्य में 2008–2009, 2009–2010 एवं 2011–2012 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर देय छुट (रिबेट) की प्रतिपूर्ति हेतु रू० 543.36 लाख (पाँच करोड़ तैतालीस लाख छत्तीस हजार) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपलब्ध निधि रू० 416.30 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तीस हजार) की विमुक्ति तथा शेष राशि 127.06 लाख योजना उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त होने पर विमुक्ति का प्रस्ताव है।	7.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8.	JnNURM (UIG) योजना के अधीन पटना तथा बोधगया शहरों के लिए 300 नये बसों के क्रय पर संभावित व्यय ₹ 4360.06 लाख (तेंतालीस करोड़ साठ लाख छह हजार रू० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

9.	बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10.	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की कतिपय धाराओं में संशोधन के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

विधि विभाग

11.	बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध विधेयक, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

12.	बिहार उर्दू अकादमी पटना को विकासात्मक कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में रू० 65,00,000/–(पैंसठ लाख रूपये) मात्र अनुदान के भुगतान की स्वीकृति।	12.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

13.	बिहार राज्य शिया वक्फ़ बोर्ड पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहायक अनुदान–वेतन मद में गैर–योजना मद से उपबंधित राशि रू० 20,00,000/– (बीस लाख रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति	13.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2013–14 में पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित) योजना – "SWASTH" कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹ 163,54,00,000/–(एक सौ तिरसठ करोड़ चौवन लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना–''सबला'' कार्यक्रम के तहत 17 लाख किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण तथा जनवरी, 2014 से पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से कुल ₹ 134,18,80,000/–(एक सौ चौतीस करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार) मात्र एवं राज्य योजना मद से कुल ₹ 105,29,25,000/–(एक सौ पाँच करोड़ उनतीस लाख पचीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

16. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन निर्मित बिहार निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2004 में संशोधन। — 16. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

17. 39 (उन्चालिस) प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना का निर्माण प्रति प्रखंड 12.15 करोड़ (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये के मानक प्राक्कलन की दर से कुल 473.85 करोड़ (चार अरब तिहत्तर करोड़ पचासी लाख) रूपये पर किये जाने की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

18. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग–I से X तक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए उपस्थिति की अनिवार्यता शिक्षा विभाग के विभागीय आदेश के अनुरूप करने का प्रस्ताव। — 18. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

19.	पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए गठित बिहार वन लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2013 के नियम 6 के उपनियम (1) में संशोधन के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20.	मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–28.12.2007 के मद संख्या–16 में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–106 (6)/रा॰, दिनांक– 25.01. 2008 को निरस्त करते हुए (परिशिष्ट–1 संलग्न) नालंदा जिलान्तर्गत गिरीयक अंचल के मौजा–पोखरपुर, थाना संख्या–332, खाता सं०–390, खेसरा सं०–1797 एवं 1798, रकबा क्रमशः–0.49 एकड़ एवं 0.11 एकड़ कुल रकबा–0.60 एकड़ (साठ डी०) गैरमजरूआ आम किस्म 'आहर' भूमि पावापुरी ओ०पी० ग्रेड–II थाना भवन निर्माण हेतु गृह विभाग को निःशुल्क, अंतर्विभागीय, स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21.	बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2013 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

22.	बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–13 (1) के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव ग्रेड से निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर बैंड वेतन ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 8700 में प्रोन्नति देने के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

23.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) के अन्तर्गत निर्धारित जन्म निबंधन अभियान अवधि के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क मो० 1/– (एक रूपये) राज्य सरकार द्वारा वहन करने की स्वीकृति।	23.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

24.	मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथनॉल की आपूर्ति हेतु इथनॉल निर्माण एवं वितरण संबंधी नीति का निर्धारण एवं बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, 1955 में संशोधन।	24.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक में अध्ययनरत छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु घोषित राज्य योजना के लिए कुल ₹ 59,98,41,600/– (उनसठ करोड़ अंठानवे लाख इकतालीस हजार छः सौ) रूपये की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण की स्वीकृति एवं शिक्षा विभाग के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 29,76,60,084/–(उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख साठ हजार चौरासी) रूपये की स्वीकृति के संबंध में। — **25.** स्वीकृत।

वित्त विभाग

26. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का (1) वित्त लेखे (खंड 1 एवं 2) तथा (2) विनियोग लेखे का उपस्थापन। — **26.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

27. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, मुंसिफ, गोपालगंज को लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम–74 (बी) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कराने के संबंध में। — **27.** स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

28. पंचांग वर्ष 2014 में अल्प अवधि हेतु बालूघाटों की बंदोबस्ती के संबंध में। — **28.** स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

29. बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य–कर अपर आयुक्त कोटि, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त कोटि, वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि एवं वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त कोटि में नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में। — **29.** स्वीकृत।